आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.10.19	(see below)	

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्बिट्रेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं0–50/2019

राम कुमार सिंह —बनाम्— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–उदयपुर थाना नं0–84, खाता नं0–67 प्लॉट नं0–563, रकवा–0.0025 ए0 एवं प्लॉट नं0–548, रकवा–0.0163 (कुल रकवा–0.0188 ए0) भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीयउच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र तथा स्वंय अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि पंचाट वादी के नाम से बना है। वादिनी के लिए तैयार पंचाट में दिया गया मूल्यांकन दर मान्य नहीं है। वादी की भूमि औद्योगिक प्रकृति की भूमि है तथा मुख्य सड़क से वादी का फेक्ट्री जाने के लिए एक पी0सी0सी0 सड़क, एवं अन्य पक्की सड़क, वादी के फेक्ट्री में स्थापित दो ट्रांसफरर्मर का पुर्नस्थापन एवं वादी की फेक्ट्री की पुर्नस्थापन आदि का मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। अर्जित भूखण्ड मुख्य सडक के किनारे अवस्थित है। भूमि का बहुत कम मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का नियमानुसार राशि की गणना कर मुआवजा राशि सही भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकतां की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि भूमि एवं अवस्थित संरचानाओं का वास्तविकता की जाँच करते हुए निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर देय मुआवजा राशि नियमानुसार आवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदानुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अपर समाहर्त्ता
—सह—
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
—सह—
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner